

प्रेषक,

चन्द्र प्रकाश तिवारी—।
J.O. Code. UP6023
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
गाजीपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

विषय : दि कोव, जे०पी० ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, गौतमबुद्ध नगर में फ्लैट यूनिट रेफरेन्स सं०-LDI-17-1502 सुपर एरिया-99.81 मीटर (1075वर्ग फुट) से सम्बंधित "एक्सिस बैंक से लिये गये लोन के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में" :

महोदय,

मेरे द्वारा दि कोव, जे०पी० ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, गौतमबुद्ध नगर में फ्लैट यूनिट रेफरेन्स सं०-LDI-17-1502 सुपर एरिया-99.81 मीटर (1075वर्ग फुट), आवंटित कराया गया था, जिसके सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के सुर्कलर लेटर नम्बर 25/एडमिन(ए), दिनांकित 13 जुलाई 1998 के परिप्रेक्ष्य में सूचना पूर्व में मार्च 2013 में प्रेषित की जा चुकी है, जो एक्सिस बैंक से लिए गए लोन के सम्पूर्ण भुगतान के सम्बन्ध में पुनः प्रेषित की जा रही है, निम्नवत है :-

1. सेवा प्रारम्भ की तिथि	27.05.2003
2. वर्तमान कुल वेतन	रु०-02,15,380 प्रतिमाह
3. अपार्टमेन्ट का विवरण	दि कोव, जे०पी० ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, गौतमबुद्ध नगर में फ्लैट यूनिट रेफरेन्स सं०-LDI-17-1502 सुपर एरिया-99.81 मीटर (1075वर्ग फुट)
4. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक	22.12.2012
5. प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले का नाम	(क) चन्द्र प्रकाश तिवारी (ख) श्रीमती किरन तिवारी (संयुक्त रूप से)
6. प्रोजेक्शन आवंटन तिथि	23.01.2013
7. कीमत	रुपये 36,55,000/-
8. अन्य खर्च	रुपये 03,27,375/-

9. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया गया है।
10. एक्सिस बैंक, इलाहाबाद से रुपये 27,75,000/-रुपये का ऋण दिनांक 19.02.

2013 को प्राप्त किया गया था, जिसकी अदायगी 204 माह में प्रति माह रुपये 29,942/-की दर से मुझे प्राप्त होने वाले वेतन से की जा रही थी। मेरे वेतन की धनराशि भारतीय स्टेट बैंक में मेरे बचत खाता संख्या-20007095022 में जमा होती है, जिसमें से प्रतिमाह बैंक द्वारा किश्त की धनराशि की कटौती माह मार्च 2015 से की जा रही थी। माह मार्च 2013 से माह फरवरी 2015 तक की 24 माह की किश्ते जे०पी० ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी गौतमबुद्ध नगर द्वारा अदा की गयी थी। इस हेतु जे०पी० ग्रीन्स स्पोर्ट्स सिटी एवं एक्सिस बैंक के बीच एक आई०जी०ओ० स्कीम सबवेन्शन पे प्लान पर हस्ताक्षर किये थे।

11. उक्त फ्लैट जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, 128 नोयडा, 201301, उम्प्र०, इण्डिया द्वारा मुझे, दि कोव, जे०पी० ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, गौतमबुद्ध नगर में फ्लैट यूनिट रेफरेन्स सं०-LDI-17-1502 सुपर एरिया-99.81 मीटर (1075वर्ग फुट), आवंटित किया गया है।

12. उक्त डीलर एक नियमित, प्राधिकृत एवं ख्यातिप्राप्त डीलर था, परन्तु विगत 10 वर्षों से उसके द्वारा फ्लैट्स का निर्माण नहीं किया गया। इसलिए अब वह मेरी नजर में ख्यातिप्राप्त डीलर नहीं रह गया है।

13. उक्त डीलर मुझसे किसी भी प्रकार से सम्बंधित नहीं है और न ही उसका कोई वाद ही मेरे न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

14. उक्त फ्लैट आवंटित कराये जाने में खर्च की धनराशि का विवरण :-

(क). एक्सेस बैंक इलाहाबाद से प्राप्त ऋण रूपये 27,75,000/-

(ख). मेरे बचत खाता संख्या-2000709502 से अदा की गयी धनराशि -

- चेक नं०-626787 से अदा की गयी धनराशि - रूपये 02,00,000/-

- चेक नं०-626727 से अदा की गयी धनराशि - रूपये 11,336/-

- चेक नं०-626791 से अदा की गयी धनराशि - रूपये 05,00,000/-

- चेक नं०-950980 से अदा की गयी धनराशि - रूपये 03,96,623/-

15. उक्त जे०पी० ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी में बुक कराये गये फ्लैट का निर्माण कार्य बिल्डर द्वारा अभी तक प्रारम्भ ही नहीं कराया गया है, जबकि उक्त फ्लैट बुक कराये लगभग 10 वर्षों से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। इसलिए उसका कब्जा भी बिल्डर द्वारा प्रार्थी को नहीं दिया गया। परन्तु बैंक से लिये गये ऋण का भुगतान मेरे द्वारा नियमित रूप से किया जाता रहा। ऐसी स्थिति में मुझे भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इसलिए मेरे द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त फ्लैट को क्य किये जाने हेतु लिये गये ऋण का भुगतान एक मुश्त कर दिया जाये, जिससे ऋण पर मेरे द्वारा अदा किये जाने वाले ब्याज की बचत हो सके।

इस हेतु :-

(a). मेरे द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में जमा की गयी दो एफ०डी० - (जिसका विवरण मेरे द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय को प्रेषित सम्पत्ति के विवरण में भी दिया गया है) -

(i) FD खाता संख्या-30727853553, रसीद संख्या- TD es0220132270 दिनांकित 31.03.2009, जो भारतीय स्टेट बैंक, शाखा राजनगर, जनपद गाजियाबाद से सी०पी० तिवारी एवं तनिष्ठा गौरी (पुत्री) के नाम से मु०-45,000/-रूपये का लिया गया था और जिसकी परिपक्वता धनराशि दिनांक 29.11.2021 को मु०- 01,09,420/-रूपये थी, को तुड़वाकर, मेरे वेतन बचत खाता संख्या-20007095022 में जमा कराया गया।

(ii) FD खाता संख्या-30727853019, रसीद संख्या- TD es0220132271 दिनांकित 31.03.2009, जो भारतीय स्टेट बैंक, शाखा राजनगर, जनपद गाजियाबाद से सी०पी० तिवारी एवं कौस्तुभ गौरव तिवारी (पुत्र) के नाम से मु०-45,000/-रूपये का लिया गया था और जिसकी परिपक्वता धनराशि दिनांक 29.11.2021 को मु०- 01,09,391/-रूपये थी, को तुड़वाकर, मेरे वेतन बचत खाता संख्या-20007095022 में जमा कराया गया।

इस प्रकार उपरोक्त दोनो एफ०डी० तुड़वाकर कुल धनराशि मु०-02,18,811/-रूपये प्राप्त हुई।

(b). मुझे उपार्जित अवकाश नकदीकरण (दिनांक 01.11.2020 से 30.11.2020 तक) द्वारा दिनांक 17.06.2022 को मु०-01,19,254/-रूपये प्राप्त हुए, जो मेरे वेतन बचत खाता संख्या-20007095022 में जमा किया गया।

(c). मेरे द्वारा अपने पी०पी०एफ० खाता संख्या—30062417429 में जमा कुल धनराशि मु०—26,28,028/-रूपये में से 40 प्रतिशत मु०—10,37,822/-रूपये दिनांक 27.07.2022 को निकाल कर अपने वेतन बचत खाता संख्या—20007095022 में जमा किया गया।

(d). इसके अतिरिक्त शेष धनराशि जो मेरे वेतन बचत खाता संख्या—20007095022 में जमा थी, में से जोड़कर सम्पूर्ण बकाया होम लोन की अदायगी की गयी।

16. इस प्रकार मेरे द्वारा होम लोन की शेष बकाया धनराशि मु०—17,09,110/-रूपये का भुगतान चेक के माध्यम से दिनांक 30.07.2022/01.08.2022 को एक्सिस बैंक को, उससे लिये गये होम लोन के सापेक्ष, करते हुए सम्पूर्ण होम लोन की अदायगी कर दी गयी।

17. उक्त के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी, दस्तावेजी प्रमाण के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है, कृपया इसे अभिलेख पर लेने की कृपा करें।

आदर सहित,

भवदीय

दिनांक 23.05.2022

(चन्द्र प्रकाश तिवारी—।)
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर।

संलग्नक

उपरोक्तानुसार